न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 33/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 निसार खां पुत्र, पहाड़ खां जाति मेहर मुसलमान निवासी खेजडला की ढाणी (मादलपुरा) तहसील व जिला जालोर		1 निम्बाराम पुत्र मगाजी जाति रेबारी निवासी नया नारणावास तहसील व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री भंवरलाल खवास, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2012 बअनवान निशार खां बनाम निम्बाराम में पारित आदेश दिनांक 09.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नया नारणावास के खसरा नम्बर 544 रकबा 1.1500 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिसमें आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 547 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई के पश्चात दिनाक 09.06.2015 को जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से जो रिपोर्ट तलब की, उसमें भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से टिप्पणी अंकित कि है कि अपीलाण्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

खेत में आवागमन का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। रेस्पोडेन्ट की भूमि सड़क से लगती हुई है तथा अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट की भूमि में से वांछित रास्ता ही निकटतम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश का यह आधार लिया गया है कि अपीलाण्ट की भूमि के पास ही अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी भूमि आई हुई स्थित है तथा उसके समीप नाला है, जिसमें से अस्थाई रूप से आवागमन होना बताते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जबकि गै0मु0 नाले की भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिसमें पानी के बहाव के दौरान आवागमन असम्भव है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया तथा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र कयासों के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है, जो अनुचित होने के कारण अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश खारिज कराते हुए खसरा नम्बरा 547 में आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए भी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग चाहा, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया। वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 544 की भूमि अपीलाण्ट द्वारा दो वर्ष पूर्व ही मंगलसिंह से क्रय की है। खसरा नम्बर 542 व 543 की भूमि अपीलाण्ट के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि के समीप खसरा नम्बर 462 व 521 की सरकारी भूमि है, जिसमें से अपीलाण्ट एवं उसके पिता आदि आवागमन करते है। उक्त भूमि में से अस्थाई रूप से आवागमन मौके पर सुचारू होने के कारण अपीलाण्ट की भूमि में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अपीलाण्ट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जिसमें किसी प्रकार का बल नहीं है। अतः अपील खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 2009 पेज 649 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा नया नारणावास के खसरा नम्बर 544 में से आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 447 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार जालोर से रिपोर्ट तलब की तथा उसके पश्चात अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया। तहसीलदार जालोर द्वारा प्रथम रिपोर्ट जरिये पत्रांक/राजस्व/2012/2384 दिनांक 26.06.2012 के जरिये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः खसरा नम्बर 547 की पूर्वी माठ की तरफ रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग होना बताते हुए तहसीलदार जालोर से पुनः जांच रिपोर्ट तलब कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जालोर से पुनः जांच रिपोर्ट तलब की गई, जो तहसीलदार जालोर द्वारा जरिये पत्रांक/राजस्व/2013/1851 दिनांक 22.05.2013 के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें जाहिर किया कि खसरा नम्बर 544 के खातेदार निसार खां वगैरा की पिता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 543 की आई हुई स्थित है, जिससे खसरा नम्बर 462 व 521 की भूमि लगती हुई है, जो सरकारी है तथा जिसमें से अस्थाई आवागमन किया जा रहा है। इस प्रकार वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के जो मुख्य आधार बिन्दु है, उनमें से वैकल्पिक मार्ग का अभाव, मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता एवं विशिष्ठतया नये मार्ग के मामले में अन्य खातेदार की जोत में से आवागमन हेतु सुविधाजनक उपयोग का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी जोत में सुविधाजनक उपयोग हेतु रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का अनुतोष चाहा गया था, जिसमें वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था। कानूनन वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु किसी अन्य खातेदार की भूमि में से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं होने के कारण जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का आवेदन पत्र खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2012 बअनवान निशार खां बनाम निम्बाराम में पारित आदेश दिनांक 09.06.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर